क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीप्ज़-एसईजेड, मुंबई की अध्यक्षता में 16.10.2026 को आयोजित निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए अनुमोदन समिति की 11 वी बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित सदस्य:

क्र.	**नाम एवं पदनाम(श्री/ श्रीमती)**	**विभाग**
1	श्रीमती मितल हिरेमठ, संयुक्त विकास आयुक्त	पुणे क्लस्टर एसईज़ेड, पुणे
2	श्री. सुनील कुमार, उप आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
3	श्री. प्लेटो लोबो, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशक	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
4	श्रीमती रेखा तोगरे, क्षेत्रीय अधिकारी	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित
5	श्री. धवल शिर्के, अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग, पुणे से नामित

एजेंडा विषय क्र. 01: - दिनांक 04.09.2026 को आयोजित 10 वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 04.09.2026 को आयोजित अनुमोदन समिति की **10** वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एजेंडा विषय क्र. 02: दिनांक 04.09.2026 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के लिए कि गई कार्रवाई रिपोर्ट ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 04.09.2026 को आयोजित बैठक के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट की है।

एजेंडा विषय क्र 03: मैसर्स ग्रीनलाइफ प्रोडक्ट्स द्वारा नई 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई (EOU) की स्थापना हेतु आवेदन।

मैसर्स ग्रीनलाइफ प्रोडक्ट्स द्वारा Clove Powder, Areca Powder, Nutmeg Powder, Dried Turmeric Powder तथा Red Chilli Powder के विनिर्माण हेतु औद्योगिक शेड, प्लॉट नं. G-28, MIDC वर्धा औद्योगिक क्षेत्र, वर्धा, महाराष्ट्र–442001 में नई 100% निर्यातोन्मुख इकाई (EOU) स्थापित करने का प्रस्ताव, विदेशी व्यापार नीति (FTP), 2023 के पैरा 6.05(a) को हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर (HBP), 2023 के पैरा 6.01(b) के साथ पढ़ते हुए, विचारार्थ यूनिट अनुमोदन समिति (UAC) के समक्ष रखा गया।

विवरण	**जानकारी**
आवेदक का नाम	मैसर्स ग्रीनलाइफ प्रोडक्ट्स
प्रमोटर/प्रोपराइटर	श्री प्रसेनजीत दास (HUF)
इकाई का पता	औद्योगिक शेड, प्लॉट नं. G-28, MIDC वर्धा औद्योगिक क्षेत्र, वर्धा, महाराष्ट्र–442001
टेलीफोन / ई-मेल	6289498955 / greenlifeproducts.biz@gmail.com
IEC	AASHP2323M दिनांक 12.01.2026; कार्यालय अतिरिक्त DGFT, कोलकाता द्वारा जारी
गतिविधि का स्वरूप	मैन्युफैक्चरर
संबंधित प्रावधान	FTP, 2023 का पैरा 6.05(a), HBP, 2023 के पैरा 6.01(b) तथा एफटीपी/एचबीपी, 2023 के परिशिष्ट-6बी (Appendix-6B) के साथ पठित।

1. **निवेश एवं वित्त के स्रोत –**

क्र.सं	**निवेश**	**प्रस्तावित निवेश राशि**
1.	भूमि एवं भवन	0
2.	संयंत्र एवं मशीनरी – स्वदेशी	रु. 120 लाख
3.	संयंत्र एवं मशीनरी – आयातित	0
4.	कार्यशील पूंजी	रु. 50 लाख
	कुल परियोजना निवेश	रु. 170 लाख

वित्त का स्रोत	राशि
स्वयं की निधि / मित्रों एवं परिवार से ऋण	रु. 50 लाख
विदेशी ग्राहक से अग्रिम	रु. 120 लाख
कुल	रु. 170 लाख

2. निर्मित किए जाने वाले उत्पाद एवं वार्षिक क्षमता –

क्र.सं.	उत्पाद का विवरण	वार्षिक क्षमता (MT)	HSN कोड
1	Clove Powder	500	09072000
2	Areca Powder	2,000	08028030
3	Nutmeg Powder	650	09081200
4	Dried Turmeric Powder	700	09103030
5	Red Chilli Powder	650	09042211
	कुल वार्षिक क्षमता	**4,500**	

3. आयात की आवश्यकता-

क्र.सं.	विवरण	रु. करोड़ में
1	कच्चा माल एवं उपभोग्य वस्तुएँ (5 वर्ष)	313.13 (कच्चा माल एवं उपभोग्य वस्तुएँ केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी)

4. पूंजीगत वस्तुओं तथा कच्चे माल एवं अन्य इनपुट की स्वदेशी आवश्यकता (रु. करोड़ में)

	विवरण	रु. करोड़ में
(क)	पूंजीगत वस्तुएँ	1.20
	ग्राइंडिंग/पल्वराइजिंग मशीनरी	0.40
	सॉर्टिंग, मिक्सिंग एवं ड्राइंग मशीनें	0.45
	बैगिंग, तौलने के उपकरण एवं सहायक सामग्री	0.20
	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	0.15
(ख)	5 वर्ष की अवधि में कच्चे माल के घटक, उपभोग्य वस्तुएँ, पैकिंग सामग्री, ईंधन आदि	0

5. रोजगार संबंधी अनुमान

श्रेणी	पर्यवेक्षकीय	गैर-पर्यवेक्षकीय
पुरुष	2	15
महिला	0	8
कुल	2	23

6. प्रथम ब्लॉक अवधि के लिए निर्यात का **FOB** मूल्य –

वर्ष	रु. करोड़	हजार अमेरिकी डॉलर
पहला वर्ष	53.55	5,715

दूसरा वर्ष	66.00	7,044
तीसरा वर्ष	78.50	8,378
चौथा वर्ष	93.95	10,027
पाँचवाँ वर्ष	109.45	11,681
कुल	401.45	42,844

7. विदेशी मुद्रा संतुलन पत्रक

इकाई ने प्रस्तुत किया है कि वह पाँच वर्ष की अवधि में रु. 401.45 करोड़ मूल्य के तैयार माल का निर्यात करेगी; तथापि, आवेदक को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा बायबैक प्रतिबद्धता पत्र के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कच्चे माल के मूल्य से अधिक मूल्यवर्धन के बराबर होगी।

विवरण	**वर्ष 1**	**वर्ष 2**	**वर्ष 3**	**वर्ष 4**	**वर्ष 5**	**कुल (रु. करोड़)**	**कुल (हजार अमेरिकी डॉलर)**
निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा की आवक	11.78	14.52	17.27	20.67	24.08	88.32	9,426
विदेशी मुद्रा की जावक							
(i) मशीनरी का आयात	-	-	-	-	-	-	-
(ii) कच्चे माल एवं घटकों का आयात	-	-	-	-	-	-	-
(iii) स्पेयर एवं उपभोग्य वस्तुओं का आयात	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विदेशी सहयोगियों को लाभांश एवं मुनाफे का प्रत्यावर्तन	-	-	-	-	-	-	-
(v) रॉयल्टी	-	-	-	-	-	-	-
(vi) एकमुश्त तकनीकी जानकारी शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
(vii) डिजाइन एवं ड्राइंग शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
(viii) विदेशी तकनीशियनों को भुगतान	-	-	-	-	-	-	-
(ix) भारतीय तकनीशियनों के विदेश में प्रशिक्षण पर भुगतान	-	-	-	-	-	-	-
(x) निर्यात पर कमीशन	-	-	-	-	-	-	-
(xi) विदेशी यात्रा	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.70	75
(xii) बाह्य वाणिज्यिक उधार / आस्थगित भुगतान ऋण पर देय ब्याज (विवरण निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-
(xiii) कोई अन्य भुगतान	-	-	-	-	-	-	-
कुल विदेशी मुद्रा जावक (i) से (xiii)	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.70	75
शुद्ध विदेशी मुद्रा आवक	11.68	14.40	17.13	20.51	23.90	87.62	9,351

यूनिट अप्रूवल कमेटी (UAC) द्वारा विचार-विमर्श एवं लिया गया निर्णय:

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने, आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों, दिनांक06.08.2026 को आयोजित UAC की पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवृत्त तथा दिनांक 06.08.2026 के पत्र के माध्यम से सीमा शुल्क, नागपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत, समिति ने M/s. Greenlife Products को Clove Powder, Areca Powder, Nutmeg Powder, Dried Turmeric Powder तथा Red Chilli Powder के विनिर्माण एवं निर्यात हेतु एक नई 100% निर्यातोन्मुख इकाई (100% EOU) स्थापित करने के आवेदन को अनुमोदित किया।

(i) वस्तु की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, Areca Powder के विनिर्माण एवं निर्यात के संबंध में स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/निर्देशों के अधीन होगी:

1. इकाई का संपूर्ण उत्पादन केवल निर्यात हेतु होगा। घरेलू बिक्री की अनुमति नहीं होगी। कच्चे माल, तैयार माल अथवा किसी भी

मध्यवर्ती उत्पाद का किसी भी स्तर पर विचलन (Diversion) नहीं किया जाएगा। अपशिष्ट/उप-उत्पादों का भी निर्यात किया जाएगा।

2. इकाई द्वारा अपने परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उत्पादन के वास्तविक प्रारंभ (DCP) से पूर्व परिसर के चारों ओर चारदीवारी (Boundary Wall) का निर्माण किया जाएगा।

3. घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में बिक्री, डीम्ड एक्सपोर्ट अथवा अन्य SEZ/EOU इकाइयों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी।

4. इकाई द्वारा अपनी उत्पादन प्रक्रिया अथवा उत्पादन के किसी भी भाग को Sub-contract पर नहीं दिया जाएगा और न ही उत्पादन प्रक्रिया का कोई भाग इकाई के परिसर के बाहर भेजा जाएगा।

5. निर्यात/आयात बंदरगाह एवं इकाई के बीच माल की आवाजाही **RFID** एवं **GPS** सक्षम वाहनों के माध्यम से की जाएगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक यात्रा में लगने वाले समय का विश्लेषण किया जा सके।

6. इकाई की संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया CCTV निगरानी के अंतर्गत होगी तथा उक्त निगरानी का डिजिटल रिकॉर्ड इकाई द्वारा कम-से-कम 6 माह तक सुरक्षित रखा जाएगा।

7. उपर्युक्त प्रक्रिया एवं शर्तों को इकाई के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन (Annual Review of Performance) का हिस्सा बनाया जाएगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, इकाई को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप अवसर प्रदान करने के उपरांत इकाई का LOP निरस्त किया जा सकेगा।

9. निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOUs) के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश इकाई पर लागू एवं बाध्यकारी होंगे।

(ii) समिति ने अपने दिनांक **06.08.2026** के पत्र के माध्यम से क्षेत्राधिकार संबंधी सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई टिप्पणियों पर संज्ञान लिया। तदनुसार, स्वीकृति प्रदान करते समय **UAC** ने निर्देश दिया कि क्षेत्राधिकार संबंधी सीमा शुल्क प्राधिकारी, उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त, यदि कोई अन्य शर्त आवश्यक समझते हैं, तो उसे **LOP** में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित करेंगे।

(iii) इसके अतिरिक्त, **UAC** ने निर्देश दिया कि आवेदक द्वारा M/s. Global Merchant Trading FZ-LLC, Ras Al Khaimah, UAE के विगत तीन वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (**Audited Financial Statements)** प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदक द्वारा परियोजना में निवेश हेतु मित्रों/परिवार के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित ₹50 लाख के वित्तीय निवेश के संबंध में सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

तदनुसार, उक्त स्वीकृति उपर्युक्त शर्तों/निर्देशों के अधीन प्रदान की जाती है। LOP में समिति द्वारा निर्देशित सभी शर्तों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्राधिकार संबंधी सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हों, भी शामिल होंगी।

अंत में, अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 11th Meeting of the Approval Committee for Export Oriented Units Under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai held on 16.10.2026.

Members present:

Sr No	Name and Designation (Smt./Shri)	Department
1	Smt. Mital Hiremath, Jt. Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Shri. Sunil Kumar, Dy. Commissioner, Income Tax	Nominee of Income Tax, Pune

3	Shri. Plato Lobo, Astt. Director General of Foreign Trade	Nominee of DGFT, Pune
4	Smt. Rekha Togare, Field Officer	Nominee of Maharashtra Pollution Control Board
5	Shri. Dhaval Shirke, Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Agenda Item No.01: Confirmation of the Minutes of the 10th meeting held on 04.09.2026.

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 10th meeting of Approval Committee held on 04.09.2026.

Agenda Item No.02: Action taken report for the minutes of the meeting held on 04.09.2026

After deliberation, the Committee noted the Action taken report for the meeting held on 04.09.2026.

Agenda Item No. 03: Application for setting up of New 100 percent Export Oriented Unit submitted by M/s. Greenlife Products.

The proposal of M/s. Greenlife Products, for setting up a new 100% EOU at Industrial Shed, Plot No. G-28, MIDC Wardha Industrial Area, Wardha, Maharashtra - 442001, for manufacture of Clove Powder, Areca Powder, Nutmeg Powder, Dried Turmeric Powder and Red Chilli Powder, was placed before the Unit Approval Committee for consideration under Para 6.05(a) of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, read with Para 6.01(b) of the Handbook of Procedure (HBP), 2023.

Particulars	**Details**
Name of applicant	M/s. Greenlife Products
Promoter/proprietor	Shri Prasenjit Das (HUF)
Unit's address	Industrial Shed, Plot No. G-28, MIDC Wardha Industrial Area, Wardha, Maharashtra - 442001
Telephone / email	6289498955 / *greenlifeproducts.biz@gmail.com*
IEC	AASHP2323M dated 12.01.2026; issued by O/o Additional DGFT, Kolkata
Nature of activity	Manufacturer
Relevant provision	Para 6.05(a) of FTP 2023 read with Para 6.01(b) of HBP 2023 & Appendix-6B of FTP/HBP 2023

1. Investment and Source of Finance :

S.No.	**Investment Head**	**Projected Investment Amount**
1.	Land and building	Nil
2.	Plant and machinery - Indigenous	Rs. 120 lakh
3.	Plant and machinery - Imported	Nil
4.	Working capital	Rs. 50 lakh
	Total project investment	**Rs. 170 lakh**

Source of finance	Amount
Own funds / loan from friends and family	Rs. 50 lakh
Advance from Foreign client	Rs. 120 lakh
Total	**Rs. 170 lakh**

2. **Products to be manufactured and Annual capacity:**

Sr. No.	**Product description**	**Annual capacity (MT)**	**HSN code**
1	Clove Powder	500	09072000
2	Areca Powder	2,000	08028030
3	Nutmeg Powder	650	09081200
4	Dried Turmeric Powder	700	09103030
5	Red Chilli Powder	650	09042211
	Total annual capacity	**4,500**	

3. Import Requirement :

S.No.	**Particulars**	**Amount in Rs. (Cr.)**
1.	Raw Material and Consumables (5 Years)	313.13 (Raw Material and consumables will be provided by the supplier only)

4. Indigenous requirement of Capital Goods & Raw Material and other input (Rs. In Crores)

	Particulars	**Amount in Rs. (Cr.)**
(a)	**Capital Goods**	**1.20**
	Grinding/Pulverising Machinery	0.40
	Sorting, Mixing & Drying Machines	0.45
	Bagging, Weighing & Accessories	0.20
	Furniture & Fixtures	0.15
(b)	Raw Material Components, Consumables, packing material, fuels etc, during the period of 5 years	0

5. Employment Projections:

Category	**Supervisory**	**Non-supervisory**
Men	2	15
Women	0	8
Total	**2**	**23**

6. FOB value of exports for the 1st Block Period:

Year	**Amount in Rs. (Crore)**	**Amount in US$ (Thousand)**
1st year	53.55	5,715
2nd year	66.00	7,044
3rd year	78.50	8,378
4th year	93.95	10,027
5th year	109.45	11,681
Total	401.45	42,844

7. Foreign Exchange Balance Sheet: The Unit has submitted that they will be exporting finished goods for a value of 401.45 Cr. in the 5 years period, however the amount of forex to be received by the applicant will be of the value added over the above the Raw material being supplier under the buyback commitment letter.

Amount (Rs. In Cr.)

Particulars	**Year 1**	**Year 2**	**Year 3**	**Year 4**	**Year 5**	**Total (Rs. Cr.)**	**Total (US$ 000)**
Foreign exchange inflow on account of exports	11.78	14.52	17.27	20.67	24.08	88.32	9,426
Foreign Exchange outgo on							
(i) Import of machinery	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Import of Raw materials and components	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Import of spares and consumables	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Repatriation of dividends and profits to foreign collaborators	-	-	-	-	-	-	-
(v) Royalty	-	-	-	-	-	-	-
(vi) Lump-sum know-how fee	-	-	-	-	-	-	-
(vii) Design and drawing fees	-	-	-	-	-	-	-
(viii) Payment to foreign technicians	-	-	-	-	-	-	-
(ix) Payment on Training of Indian technicians abroad	-	-	-	-	-	-	-
(x) Commission on exports	-	-	-	-	-	-	-
(xi) Foreign travel	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.70	75
(xii) Amount of interest to be paid on external commercial borrowing / deferred payment credit (specify details	-	-	-	-	-	-	-
(xiii) Any other payments	-	-	-	-	-	-	-
Total foreign exchange outgo(i) to (xiii)	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.70	75
Net foreign exchange inflow	11.68	14.40	17.13	20.51	23.90	87.62	9,351

Deliberations and decision of the Unit Approval Committee (UAC):

After deliberation on the proposal, the submissions made by the applicant, the earlier minutes of the UAC dated 06.08.2026 and the observations of Customs, Nagpur contained in letter dated 06.08.2026, the Committee approved the application of M/s. Greenlife Products for setting up a new 100% EOU for manufacture and export of Clove Powder, Areca Powder, Nutmeg Powder, Dried Turmeric Powder and Red Chilli Powder.

(i) Considering the sensitive nature of the commodity and to ensure security, the approval in respect of manufacture and export of Areca powder is subject to the following conditions/directions:

1. The entire production of the unit shall be for export only. Domestic sale shall not be permitted. There shall be no diversion, at any stage, of raw materials, finished goods or any intermediate product. Waste/by-products shall also be exported.
2. The unit shall construct a boundary wall around the premises to ensure security of the premise, before the actual commencement of production (DCP) at the unit's premises.
3. Domestic tariff area sales, deemed exports or exports to other SEZ/ EOU units shall not be allowed.
4. The unit will not subcontract or send any part of its production or production process outside the unit.
5. To and fro movement of goods between the export/import port and the unit shall be through the RFID and GPS enabled vehicle for analysis of time taken for each trip, whenever required.
6. The whole process of the unit shall be under CCTV coverage and digital record of the same shall be maintained by the unit for at least 6 months.
7. The process and conditions above will be a part of the Annual Review of the performance of the unit.

8.. The instruction issued time-to-time for the Export Oriented Units are applicable and binding on the unit.

(ii) The Committee noted the observations raised by the jurisdictional Customs authorities in their letter dated 06.08.2026. Accordingly, while according approval, UAC directed that the jurisdictional Customs authorities shall, in addition to the above mentioned conditions, propose additional conditions if any to Unit time to time . These conditions are binding on Unit.

(iii) Further, UAC directed that the applicant shall submit the audited financial statements of M/s. Global Merchant Trading FZ-LLC, Ras Al Khaimah, UAE, for the preceding three years. The applicant shall also submit supporting documents regarding the proposed financial investment of the friends/family proposing to provide Rs. 50 lakh towards investment in the project.

The approval is accordingly subject to the above conditions/directions. The LOP shall incorporate the conditions directed by the Committee.Jurisdictional Customs authorities directions issued time to time also binding on the unit.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

Digitally Signed By
Shri. Dnyaneshwar B Patil
Date: 07-11-2026
Time: 19:02:10

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयएएस)
(Dnyaneshwar B. Patil, IAS)
अध्यक्ष-सह- विकास आयुक्त
Chairman-cum- Development Commissioner